रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-128/91

REGISTERED No. D. (D.N.)-128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 6, 1991/आषाढ़ 15, 1913

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 6, 1991/ASADHA 15, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 जून, 1991

सा.का.नि. 388.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (संशोधन) नियम, 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 के नियम 8 में उपनियम (ख) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) कम्पनी कमान्डर या क्वार्टर मास्टर या सहायक प्रधानाचार्य केन्द्रीय प्रशिक्षण कालेज, के रैंक में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस में सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता का अवधारण चयन बोर्ड के समक्ष और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, आन्तरिक सुरक्षा अकादमी में उनके बुनियादी प्रशिक्षण के पश्चात, संचालित पासिंग आउट परीक्षा में उनके द्वारा अभिप्राप्त कुल अंकों के अनुसार किया जाएगा।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में स्थानीय रूप से या राज्य की अधीनस्थ पुलिस सेवा से प्रोन्नत अधिकारी को सीधे भर्ती किए गए पूर्ण बैच के ठीक नीचे रखा जाएगा और यदि उनमें से किन्हीं अधिकारियों को एक ही तारीख को नियुक्त किया गया है तो स्थानीय प्रोन्नत व्यक्तियों तथा राज्यों से प्रोन्नत व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता का अवधारण उनकी जन्म तिथि के प्रति निर्देश द्वारा किया जाएगा।

[सं. 1/45020/20/89-पर्स II]

एम. के. अग्रवाल, उप सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जून, 1991

सा.का.नि. 394.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आकाशवाणी सिविल निर्माण स्कंध (समूह "क" और "ख" पद) भर्ती नियम, 1988 में संशोधन करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आकाशवाणी सिविल निर्माण स्कंध (समूह "क" और "ख" पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम 1991 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी, सिविल निर्माण स्कंध (समूह "क" और "ख" पद) भर्ती नियम 1988 की अनुसूची में क्रम संख्या 4 जो वास्तुविद के पद से संबंधित है, के कालम 6 में "35 वर्ष" शब्द और अंक के स्थान पर "40 वर्ष" रखा जाए।

[संख्या 310/17/91-बी (डी)]

कश्मीरी लाल, उप सचिव

नोट : मूल नियम सा. का. नि. सं. 370 दिनांक 30-4-88 के तहत अधिसूचित किए गए थे

(क) सा. का. नि. सं. 442 (ई.), दिनांक 10-4-89 के तहत संशोधित किया गया।

(ख) शुद्धिपत्र दिनांक 11-1-91 की अधिसूचना सं. 310/25/90-बी (डी) के तहत जारी किया गया; और

(ग) 11-2-91 की अधिसूचना सं 310/25/90-बी (डी) के तहत संशोधन किया गया।

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 5th June, 1991

G.S.R. 394.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend All India Radio, Civil Construction Wing (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 1988, namely:—

1. (1) These rules may be called the All India Radio Civil Construction Wing (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1991.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio, Civil Construction Wing (Group 'A' and Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1988, against Serial No. 4 relating to the post of Architect, in column 6, for the figures and word "35 years", the figures and word "40 years" shall be substituted.

[No. 310/17/91-B(D)]

KASHMIRI LAL, Under Secy.

NOTE : The Principal rules were notified by GSR No. 370 dated 30-4-88 :—

(a) Amended by GSR No. 442(E) dated 10-4-89;

(b) Corrigendum issued by notification No. 310/25/90-B(D) dated 11-1-91; and

(c) Amended by notification No. 310/25/90-B(D) dated 11-2-91.

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 मई, 1991

सा.का.नि. 395.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, फरक्का बराज परियोजना (समूह 'क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1966 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम फरक्का बराज परियोजना (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1991 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. फरक्का बजाज परियोजना (समूह "क" और समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची में मेरिन इंजीनियर के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

टिप्पणी : सिंचाई एवं विद्युत मंत्रालय की 27 जनवरी, 1966 की सरकारी अधिसूचना सा. का. नि. 231 के तहत मुख्य भर्ती नियम भारत सरकार के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड-1 में 27 जनवरी, 1966 को पृष्ठ 260—275 पर प्रकाशित हुए थे तथा इसके बाद संशोधन निम्नवत अधिसूचित किए गए थे :—

(1) भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) के पृष्ठ 633—634 पर प्रकाशित 22 फरवरी, 1969 की सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 422

(2) भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में पृष्ठ 3434 पर प्रकाशित 1 नवम्बर, 1969 की सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 2503

(3) भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में पृष्ठ 573—578 पर प्रकाशित 9 मार्च, 1974 की सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 257

(4) भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में पृष्ठ 882—883 पर प्रकाशित 27 मार्च, 1976 की सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 448

(5) भारत के राजपत्र भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में पृष्ठ 2552 पर प्रकाशित 9 अक्तूबर, 1976 की सरकारी अधिसूचना सं. सा. का. नि. 1444